उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F 38430 /सी–५/एन०ओ०सी०-४५९/०८ | 8 दिनांक 18-9-08

सेवा में,

मे0 संजय कौशिक,
क्षेत्रीय प्रबन्धक,
सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट, प्रा०लि०,
कम्पोजिट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निकट,
ओखला टैन्क मथुरा रोड, नई दिल्ली। ११००२०

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से / नई इकाई की स्थापना हेतु / ~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार / संयंत्रों के नवीनीकरण~~ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक ३०/०४/०८ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : मै० सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा०लि०,
खसरा नम्बर– ३६, ३७, ग्राम–मोहम्मदपुर,
तहसील– नवाबगंज, बाराबंकी।

(ख) उत्पादन : जैव चिकित्सा अपशिष्ट– १०५० किग्रा/दिन के जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तन) नियम–१९८९ यथा संशोधित २००० के प्राविधानों के अनुसार संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट शुद्धीकरण व्यवस्था की स्थापना किया जाना।

(ग) मुख्य कच्चे माल : जैव चिकित्सा अपशिष्ट= १०५० किग्रा०/दिन

(घ) वाशिंग से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : ८०ली०/ दिन

(ड.) प्रयुक्त ईधन : एच०एस०डी०= ५०लीटर/दिन

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ....०.२० किलोली/दिन.................... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ....३०/१०/०८.................... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७। भू-जल से आपूर्ति हेतु संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

८ स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थानीय विभाग से मानचित्र स्वीकृत करायेगा तथा उक्तानुसार ही निर्माण करेगा।

९ स्थल पर समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जायेगी।

१० स्थल पर नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करेगा।

११ स्थल पर नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसीत करेगा।

१२ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट संयुक्त शुद्धीकरण व्यवस्था हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

१३ संस्था द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट(मैनेजमेन्ट एवं हथालन) नियम-१९९८ यथा संशोधित के अनुरूप ही बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

१४ फर्म द्वारा प्रस्तावित इन्सीनेरेटर से जनित होने वाली ऐश का निस्तारण परिसंकटमय अपशिष्ट नियम- २००३ के अनुरूप करते हुये सेक्योरड लैण्ड फिल्ड साईट हेतु प्रदेश में स्थित सी०डब्लू०टी०एफ०एस० की सदस्यता प्राप्त कर उक्त में परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किया जायेगा।

१५। फर्म द्वारा प्रस्तावित उत्प्रवाह शुद्धीकरण व्यवस्था के चारो ओर सुगंधीय पेड़ों का वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जायेगा।

१६ फर्म द्वारा भू-प्रयोग प्रमाण पत्र तीन माह की अवधि में प्राप्त कर उपलब्ध कराया जायेगा।

१७ समस्त ध्वनि उत्पन्न करने वाले श्रोतों पर एकास्टिक एन्क्लोजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त अंकित शर्तो में क्रम संख्या ७,८,९,१०,११,१२ में अंकित शर्ते संवेदन शील श्रेणी की है उक्त का अनुपालन निर्धारित समयावधि में नही होने की स्थिति में बोर्ड के पत्र दिनांक २३-७-०८ के अनुक्रम में उद्योग से प्राप्त पंजाब नेशनल बैक सिरसा ब्रान्च हिसार द्वारा निर्मित बैकगारन्टी संख्या ०२०३१एलजी००४९०८ दिनांक ०१/०८/०८ धनराशि रूपये ४५०००/- (पैतालिस हजार)मात्र की बैकगारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है ।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ....३०-१०-०८.......... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :..........बाराबंकी।..........
2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :..........लखनऊ।..........
4. ....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त..........५..........)